



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 21-2022]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 मई, 2022  
(3 ज्येष्ठ, 1944 शक)

## विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 110/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 20 मई, 2022 — हरियाणा राज्य अभियोजन ग्रुप ग (लिपिकीय क्षेत्रीय) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	497-498
	2. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 111/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 20 मई, 2022 — हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	499-500
	3. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 112/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 20 मई, 2022 — हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	501-502
	4. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 113/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 20 मई, 2022 — हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	503-504
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

**भाग-III**

**हरियाणा सरकार**

**न्याय प्रशासन विभाग**

**अधिसूचना**

**दिनांक 20 मई, 2022**

संख्या सा०का०नि० 111/संवि० /अनु० 309/2022— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य अभियोजन (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1996 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“5 आयु— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आयु ऐसी होगी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट हैं।”।

राजीव अरोड़ा,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT**

**Notification**

The 20th May, 2022

**No. G.S.R. 111/Const. /Art. 309/2022.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Group 'D' Service Rules, 1996, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Prosecution Group 'D' Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana State Prosecution Group 'D' Service Rules, 1996, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-  
"5. Age.- The age for direct recruitment to the Service shall be such, as specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).".

RAJEEV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Administration of Justice Department.